बिहार सरकार
<u>योजना एवं विकास विभाग</u>

पत्रांकः योoब02/1–23/2018– 01 (आवंटन) /योoविo,पटना,दिनांक 07 फरवरी, 2019

प्रेषक,

राजेश्वर प्रसाद सिंह,
सरकार के अपर सचिव

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन,
कार्यप्रमंडल–1, बिहारशरीफ (नालंदा)।

विषयः **वित्तीय वर्ष 2018–19 में "बिहार मंदिर चहारदीवारी निमार्ण" योजना अन्तर्गत कुल ₹89,12,963/– (नवासी लाख बारह हजार नौ सौ तिरसठ) रूपये मात्र की राशि का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक गृह विभाग (विशेष शाखा) के स्वीकृत्यादेश संख्या–11688 दिनांक 31.12.2018 के आलोक में मुख्य शीर्ष–**2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण**, उपमुख्य शीर्ष–60 **अन्य समाज सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम**, लघु शीर्ष–200–**अन्य कार्यक्रम**, **उपशीर्ष–0120–बिहार मंदिर चाहर दिवारी निर्माण निधि योजना, 2015 (गृह विभाग हेतु)**, मांग संख्या–35, विपत्र कोड–**35–2235602000120** के अन्तर्गत विस्तृत शीर्ष–27 के विषय शीर्ष–**01–लघु कार्य** के तहत व्यय हेतु कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्यप्रमंडल–1, बिहारशरीफ (नालंदा) को कुल ₹89,12,963/– (नवासी लाख बारह हजार नौ सौ तिरसठ) रूपये मात्र की राशि को आवंटित की जाती है।

2. आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के कार्यपालक अभियंता होंगे। वे राशि के निकासी हेतु वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 4989 दिनांक 16.05.2013 का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

3. प्रत्येक परिस्थिति में व्यय आवंटित राशि के अधीन रखा जाय। इसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

4. उक्त राशि का आवंटन वित्त विभाग के स्थायी अनुदेश संख्या 2561 दिनांक 17.04.1998, पत्रांक 354 दिनांक 28.03.2018 तथा वित्त विभागीय अन्य अद्यतन संदर्भित परिपत्रों के आलोक में किया गया है।

5. इस आवंटित राशि का व्यय वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत नियमावली में निहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन करते हुए किया जायेगा।

6. आवंटित राशि के विरूद्ध किये गए व्यय से संबंधित प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 5वीं तिथि तक निश्चित रूप से महालेखाकार एवं मुख्यालय के योजना शाखा/मुख्य अभियंता कार्यालय, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, चतुर्थ तल, विश्वेश्वरैया भवन, पटना को उपलब्ध कराया जाय।

7. गृह विभाग (विशेष शाखा) बिहार, पटना के स्वीकृत्यादेश संख्या 11688 दिनांक 31 12.2018 के आलोक में नियमानुसार राशि का आहरण कर वित्तीय वर्ष 2018–19 में हीं व्यय किया जायेगा।

8. कोषागार में प्रस्तुत किए जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उपशीर्ष/विषय शीर्ष/विपत्र कोड संख्या आदि की मुहर स्पष्ट रूप से अंकित की जाय, ताकि महालेखाकार के कार्यालय में अभिलेख सही तरीके से रखा जा सके।

विश्वासभाजन

ह०/ 05/02

(राजेश्वर प्रसाद सिंह)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः योoब02 / 1–23 / 2018– 09(आ०स०) / योoविo,पटना,दिनांक 07 फरवरी, 2019

प्रतिलिपिः कोषागार पदाधिकारी, बिहारशरीफ (नालंदा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक· योoब02 / 1–23 / 2018– 09(आ०स०) / योoविo,पटना,दिनांक 07 फरवरी, 2019

प्रतिलिपिः महालेखाकार, (ले० एवं ह०) बिहार, पटना / वित्त विभाग, बिहार, पटना / गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना / प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना / जिला पदाधिकारी, बिहारशरीफ (नालंदा) / क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, पटना प्रमंडल, पटना / जिला योजना पदाधिकारी, बिहारशरीफ (नालंदा) / आंतरिक वित्तीय सलाहकार कोषांग, योजना एवं विकास विभाग / अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, पटना प्रमंडल, पटना / लेखाशाखा, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / आई0टी0 मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित कोषागार पदाधिकारी को विभागीय ई–मेल के माध्यम से भेजने हेतु) को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः योoब02 / 1–23 / 2018– 09(आ०स०) / योoविo,पटना,दिनांक 07 फरवरी, 2019

प्रतिलिपिः मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, चतुर्थ तल, विश्वेश्वरैया भवन, पटना को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन को निदेशित किया जाता है कि आवंटित राशि का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र दिनांक 31.03.2019 को अपने स्तर से गृह विभाग (विशेष शाखा) को प्रत्यार्पण प्रतिवेदन उपलब्ध कराते हुए इसकी एक प्रति विभाग को उपलब्ध कराएंगें।

सरकार के अपर सचिव
योजना एवं विकास विभाग,
बिहार,